संपादकीय

बीएसएनएल को स्वायत्ता नहीं

बीएसएनएल की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को इस उद्देश्य से किया गया था यह निजी कम्पनियों से मुकाबला करेगा जिससे कि जनता को सहनीय मूल्यों पर दूरसंचार सेवा उपलब्ध हो सके।

निगम ने सही दिशा में कार्य प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल सेवा टैरिफ में काफी गिरावट हुई। पब्लिक को निजी कम्पनियों के लूट से छुटकारा भी मिला। अल्पसमय में कम्पनी ने अधिक लाभ तथा रिजर्व फंड एकत्रित कर लिया। परन्तु यह दुःखद है कि राजनेता तथा डीओटी, मालिक, को यह रास नहीं आया तथा कम्पनी से धनराशि की उगाही प्रारंभ कर दी। निजी कम्पनियों को लाभान्वित करने के लिए नीतियों तथा रियायतों में परिवर्तन किया गया जिसके फलस्वरूप आज कम्पनी आर्थिक संकट से जूझ रही है।

छः माह पूर्व संसद तथा इसके बाहर सरकार द्वारा पवित्र तथा सुंदर घोषणाएं की गई कि बीएसएनएल को संकट से उबारने हेतु आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। परन्तु स्थिति यथावत है। शायद यह केवल पब्लिक को दिखावा मात्र था। वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में डीओटी शीघ्रता से निगम में कार्यरत कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न करने में प्रयासरत है।

डीओटी तथा बीएसएनएल के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू में उल्लेख है कि इसे कार्य करने की स्वायत्ता एवं आजादी होगी। कार्यरत कर्मचारियों से सम्बंधित नियम बनाने की भी स्वतंत्रता होगी। परन्तु डीओटी सेवा फंक्शनिंग तथा कार्मिक मुद्दों पर कठिनाईयों तथा अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इस हस्तक्षेप से कार्मिक मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा है।

बीएसएनएल बोर्ड में पदेन निदेशक के साथ–साथ डीओटी के भी प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड के अनुमोदन हेतु अनेक कार्मिक मुद्दे लम्बित है। मान्यता प्राप्त संघों से चर्चा तथा प्रबंधन समिति की अनुशंसा के पश्चात जेटीओ भर्त्ती नियम बोर्ड को अनुमोदन हेतु द्वितीय बार भेजा गया। बोर्ड की बैठक 9 दिसम्बर को सम्पन्न हुई। परन्तु इसका अनुमोदन नहीं हुआ। डीओटी के प्रतिनिधियों ने निगम के "कार्मिक योजना" की मांग किया। यहीं दशा "जेएओ" भर्ती नियम की भी हुई जिसमें अब 5 वर्ष की सेवा शर्त का प्रावधान किया गया है। अधिक समय से ई–1 वेतन का अनुमोदन भी बोर्ड में लम्बित हैं।

पता चला है कि डीओटी के प्रतिनिधियों ने बैठक में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रबंधन संघों के दबाव में कार्य कर रहा है। यह हास्यास्पद है क्योंकि मुद्दों पर नेशनल कौंसिल में चर्चा होती है। "जहाँ पर कोई दबाव किसी पक्ष द्वारा नहीं किया जाता है। बीएसएनएल कर्मचारी डीओटी के मन्सूबों को समझते हैं। कर्मचारियों का असंतोष स्वाभाविक है यदि समस्या का समाधान नहीं होता है। डीओटी द्वारा ही समाधान में कठिनाईयाँ तथा अवरोध उत्पन्न किए जा रहे है।

समय की मांग है कि डीओटी निगम को कार्य करने दें तथा अवरोध उत्पन्न नहीं करें। बीएसएनएल पब्लिक का उपक्रम तथा दौलत है उससे प्रशासनिक मंत्रालय "रखैल" जैसा व्यवहार नहीं करें तथा कम्पनी को कार्य करने की आजादी दी जाय। डीओटी को हस्ताक्षरित "मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग" का सम्मान तथा आदर करना चाहिए।